FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

किरताराम बगोरा बनाम मोहन सिंह बगोरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 232/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणधाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/10/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/10/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई, विप्रार्थी संख्या-3 की ओर से वकील श्री केवलराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा व विप्रार्थी संख्या-4 की ओर से वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते जवाब व तलबी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 04/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested

04/12/18 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या - 3 व 4 के वकील उपस्थित। जिनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। शेष विप्रार्थीगण संख्या - 1, 2 व 5, 6 के नोटिस तामिल करने तामिल मिसल। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/01/19 को पेश हो।

29/01/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या - 3 व 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 1 व 2 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब चार माह का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थी संख्या - 1 व 2 उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या - 3 व 4 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, कारिन्दा पेश करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 CPC वास्ते मंगवाने मौका रिपोर्ट पेश किया गया जिसकी प्रति विप्रार्थी संख्या - 3 के अधिवक्ता को दी गई जिनके द्वारा No obajection किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार गिर्दा को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 27/02/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested

Side margin: हुक्म ... /02/19

ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/06/19 को पेश हो।	
10/06/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो।	
15/10/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो /	
06/11/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/11/19 को पेश हो।	
27/11/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है / अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/12/2019 को पेश हो /	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-3 व 4 के वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण संख्या-3 व 4 स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-3 व 4 के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की मूल प्रार्थना-पत्र व मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी संख्या-1 के खातेदारी का खेत मौजा-लेगों की ढाणी पटवार मण्डल-सोहड़ा तहसील-बायतु हाल तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर मे खेत खसरा नम्बर-103/27 रकबा-85.00 बीघा, खसरा नम्बर-117/67 रकबा-41.05 बीघा व प्रार्थी संख्या-2 से 6 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर-101/27 रकबा-83.00 बीघा, खसरा नम्बर-116/67 रकबा-51.07 बीघा का आया हुआ है जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाण आदि बना हुआ है। प्रार्थीगण के सेनासेढ़ दी विप्रार्थी संख्या-1 से 4 का खसरा नम्बर-100/27 रकबा-85.00 बीघा, खसरा नम्बर-115/67 रकबा-10.09 बीघा व समपर्वतिका भूमि खसरा नम्बर-102/27 रकबा-2.00 बीघा है। जो समस्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मूल खसरा नम्बर-25, 27 व 67 की भूमि थी, जिस भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के पूर्वज मूला-राम ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर बाड़मेर के ~~न्यायालय~~ समक्ष पेश किया गया था जो राजस्व वाद संख्या-125/71 उनवान-मूलाराम बनाम ...

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested

ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करोता था जिस वाद के साथ विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के पूर्वज मूलाराम ने परिशिष्ट 'ब' के अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु नजरी नक्शा पेश किया गया था, जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज ने परिशिष्ट 'ब' को स्वीकार करते हुऐ बंटवाड़ा करने हेतु सहमति प्रदान की गई थी, जिस पर उक्त वाद को दिनांक-14.9.1971 को निर्णित करते हुए मूल खाता नम्बर-25, 27 व 67 का विभाजन किया गया। जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या-1 से 4 अलग-अलग काश्त करते है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के खेतों के बंटवाड़े के समय जो नक्शा विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के पूर्वज ने पेश किया गया वो सही तैयार किया गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई थी जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व बंटवाड़े के संलग्न नक्शा अनुसार नही की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या-1 से 4 के मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। तथा राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जाँच किये बिना एवं पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गयी। इसलिए लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम (सहमती बंटवाड़े अनुसार) दुरस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, तहसीलदार मेड़ता ने उक्त विवादित भूमि के कब्जे काश्त व मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार मेड़ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible]

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (प्रथम)
नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नकल की आवेदन व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट से सहमत है। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह साबित होता है कि सर्वे में पक्षकारों के मध्य सहमती बंटवाड़े अनुसार तरमीम न होकर बंटवाड़े से भिन्न तरमीम की गई है जो तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट बताया गया है।
	अतः विवादित आराजी मौजा- लोहो की ढाणी पटवार मण्डल- सोहड़ा तहसील बायतु हाल तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर में प्रार्थी संख्या-1 के खेत खसरा नम्बर- 103/27 रकबा- 85.00 बीघा, खसरा नम्बर- 117/67 रकबा- 41.05 बीघा व प्रार्थी संख्या- 2 से 6 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर- 101/27 रकबा- 83.00 बीघा, खसरा नम्बर- 116/67 रकबा- 51.07 बीघा तथा विप्रार्थी संख्या- 1 से 4 के खसरा नम्बर- 100/27 रकबा- 85.00 बीघा, खसरा नम्बर- 115/67 रकबा- 10.09 बीघा व समर्पणशुदा भूमि खसरा नम्बर- 102/27 रकबा- 2.00 बीघा की लट्ठा ड्राम में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर राजस्व वाद संख्या- 125/1971 के संलग्न निर्णय ~~मय~~ डिग्री पर्चा व नक्शे अनुसार (सहमति बंटवाड़े डिग्री के संलग्न नक्शा) तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश की पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के क्रम से दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:39:27 IST
Reason: SelfAttested